न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 29/2025
जीसीएमएस सं. 2025/29

अपीलांट्सः–

1. नरसिंगाराम पुत्र जसाराम
2. रूगनाथराम पुत्र जसाराम
3. चन्द्राराम पुत्र मंगलाराम
4. नारायणराम पुत्र मंगलाराम

   सभी जातियान मेगवाल निवासी गण रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. चम्पा पुत्री रूपाराम पत्नी ताराराम जाति मेगवाल निवासी रोहिचा कला, हाल निवास सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. तुलसी पुत्री रूपाराम पत्नी मंगलाराम जाति मेगवाल निवासी रामपुरा, तहसील सिवाणा, जिला बाडमेर।
7. धापु पुत्री रूपाराम पत्नी दिनेश जाति मेगवाल निवासी रोहिचा कला, हाल निवासी गांव सरेचां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. आदूराम पुत्र रूपाराम
9. विशनाराम पुत्र रूपाराम
10. भाणीदेवी पत्नी रूपाराम

    सभी जातियान मेगवाल निवासी रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. हनुमानराम पुत्र शिवाराम (सविया), (तथाकथित फर्जी) गोदपुत्र सुखाराम जाति मेगवाल निवासी गांव रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. जगाराम पुत्र शिवाराम (सविया) जाति मेगवाल निवासी गांव रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 1250 दिनांक 20.07.2022 ग्राम रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिसे तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 22.07.2022 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी एवं श्री पुष्पेंद्र सिंह (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री लादूराम पुनिया (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)

निर्णय दिनांक 31.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के नामांतरकरण सं. 1250 पर तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से श्री लाधूराम पूनिया व अशोक पूनिया अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया है। शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से नोटिस तामिल होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं होने पर, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोहिचा कला के खेत खसरा सं. 339 रकबा 14.3501 हैक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 1 व 2 के पिता शिवाराम (सविया) तथा मृतक सुखाराम की खातेदारी कृषि भूमि है। सुखाराम के लाओलाद फौत होने पर तहसीलदार लूणी द्वारा फर्जी गोदनामा के आधार पर दिनांक 11.07.2022 को प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम पुत्र शिवाराम के नाम उक्त ख.नं. 339 की भूमि में नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है तथा उक्त आदेश दिनांक 11.07.2022 की पालना में आक्षेपित नामांतरकरण सं. 1250 ग्राम रोहिचा कला हनुमानराम के नाम दर्ज कर दिनांक 22.07.2022 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकार किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत व फर्जी अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर होने से खारिज योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 11.07.2022 को पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा पारित किया गया आदेश है तथा अपीलांट्स के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उक्त फर्जी गोदनामा के आधार पर हनुमानराम ने अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के पश्चात् उसके द्वारा ऐलानिया धमकी देने पर पटवारी हल्का से दिनांक 21.02.2023 को आक्षेपित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामांतरकरण व दिनांक 11.07.2022 के आदेश की नकल लेने पर, नामांतरकरण व आदेश की जानकारी अपीलांट्स को सर्वप्रथम होने पर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपीलांट्स की अपील मेरिट पर सुनी जाकर, आक्षेपित नामांतरकरण सं. 1250 दिनांक 22.07.2022 को निरस्त किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण से संबंधित आराजी ख.नं. 339 की भूमि जस्साराम पुत्र भैराराम के नाम की खातेदारी भूमि है। जस्साराम के छः पुत्र नरसिंगाराम (अपीलांट), मंगलाराम (फौत), सुखाराम (फौत), शिवाराम (फौत), रूपाराम (फौत) व रूगनाथराम (अपीलांट) है। मंगलाराम के वारिसान अपीलांट चंदाराम व नारायणराम है। रूपाराम के वारिसान अपीलांट्स चंपा (पुत्री), तुलसी (पुत्री), धापु (पुत्री), आदुराम (पुत्र), विशनाराम (पुत्र), भाणी देवी (पत्नी) है। शिवाराम के वारिसान हनुमानराम (पुत्र) व जगाराम (पुत्र) प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 है। सहखातेदार सुखाराम लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम ने फर्जी गोदनामा तैयार करके स्वयं को सुखाराम का गोदपुत्र बताया तथा तहसीलदार को फर्जी अपंजीकृत गोदपत्र के आधार पर, सुखाराम के हिस्से की भूमि में अपना नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार, लूणी ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना नोटिस जारी किये बाले–बाले ही प्रकरण सं. 12/2022 दर्ज कर, दिनांक 11.07.2022 को आदेश पारित करके प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम के नाम, सुखाराम की जगह नामांतरकरण दर्ज करने के गैर कानूनी, बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित कर दिये। तथाकथित गोदनामा फर्जी व अपंजीकृत है। इस फर्जी गोदनामा के आधार पर हनुमानराम, सुखाराम के 1/6 हिस्से की भूमि गैर कानूनी तरीके से हडपना चाहता है। सुखाराम लाऔलाद फौत हुआ है, जिसमें शेष 5 भाईयों का बराबर हिस्सा है। सुखाराम की सेवा चाकरी सभी भाईयों ने मिलकर की थी। हनुमानराम ने किसी प्रकार से सुखाराम की सेवा चाकरी नहीं की तथा सुखाराम ने कभी भी हनुमानराम को गोदपुत्र नहीं लिया। गोदनामा में लिखी हुई उम्र भी मानने योग्य नहीं है। गोदनामा को हनुमानराम स्वयं ने तस्दीक किया है। गोदनामा में फोटो किसी ओर की लगी है। स्टांप जारी होने की तिथि अंकित नहीं है। फर्जीवाडा किया गया है। अतः फर्जी गोदनामा के आधार पर, हनुमानराम के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण गलत व अविधिक होने से निरस्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद कानून को स्वीकार किया जाकर, अपील को मेरिट पर सुना जाकर निर्णित किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार, लूणी को सुनवाई कर विधि अनुसार निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाये। हनुमानराम ने दिनांक 14.03.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस अपीलांट्स को कभी भी नहीं मिले है। फिर भी प्रकरण धारा 135(2), भू राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत दर्ज करके मात्र 11 दिन में दिनांक 11.07.2022 को ही निपटा दिया तथा दिनांक 22.07.2022 को नामांतरकरण स्वीकृत भी कर दिया। AIR 1989 MP 198 व AIR 2001 SC 2725 की नजीरे भी पेश की है।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 हनुमाराम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि यह अपील सुखाराम पुत्र जस्साराम के विरासत के नामांतरकरण के विरूद्ध पेश की गई है। सुखाराम का दिनांक 10.01.2013 को देहांत हो चुका है तथा सुखाराम की पत्नी का भी दिनांक 15.08.2010 को ही देहांत हो चुका था। सुखाराम ने अपने जीवनकाल में ही प्रचलित रीति रिवाज अनुसार, हनुमानराम को गोद ले लिया था, जिसकी लिखापढी दिनांक 05.03.2011 को हुई, जिसमें गोद लेने व देने की रस्म का वर्णन है। सुखाराम के फौत होने पर, गोदपुत्र हनुमानराम ने अपने पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र मय गोदनामा तहसीलदार, लूणी को पेश किया, जिसे तहसीलदार, लूणी ने प्रकरण सं. 12/2022 दर्ज रजिस्टर कर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 की उप धारा (2) के तहत जांच प्रारंभ की तथा सार्वजनिक आम सूचना देकर आपत्तियां उजरात मांगी गई। कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर पटवारी से विवादित भूमि पर कब्जे की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी ने मौतबिरान की उपस्थिति में मौके पर हनुमानराम का ही कब्जा पाया। गवाह किसनाराम पुत्र अमराराम आयु 78 वर्ष, गवाह बींजाराम पुत्र मंगलाराम, गवाह प्रेमाराम पुत्र लच्छाराम के बयान लिए गये। उक्त तीनों गवाहों ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि मृतक सुखाराम ने हनुमानराम को गोद लिया था तथा हनुमानराम का ही, सुखाराम के हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार तहसीलदार, लूणी ने विस्तृत जांच करने के पश्चात् ही दिनांक 11.07.2022 को हनुमानराम के नाम विरासत का म्यूटेशन दर्ज करने के आदेश पारित किये है तथा उसी के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1250 दिनांक 22.07.2022 को हनुमानराम (प्रत्यर्थी 1) के नाम दर्ज किया गया है। यह अपील एक वर्ष बाद पेश की गई है, जबकि आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथा किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के बाद ही आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सुखाराम दिनांक 10.01.2013 को फौत हो चुका था परंतु अपीलांट्स नरसिंगाराम, रूगनाथराम इत्यादि ने अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करने हेतु कोई आवेदन पेश ही नहीं किया बल्कि हनुमानराम के पक्ष में दिनांक 22.07.2022 को आक्षेपित नामांतरकरण सं. 1250 स्वीकृत होने के एक वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अपीलांट्स का सुखाराम की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा ही नहीं है जबकि प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम की मौके पर ढाणी बनी हुई है।

गोदनामा को कूटरचित व फर्जी कहने मात्र से ही वह कूट रचित व फर्जी नहीं हो जाता। उसको साक्ष्यों से ऐसा होना साबित करना पडता है कि वह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 90/91 के प्रावधानानुसार लिखित दस्तावेजों की उपस्थिति में मौखिक/जुबानी साक्ष्य को नही पढा जा सकता।

लिखित गोदनामा व तहसीलदार की जांच के आधार पर पारित नामांतरकरण के विरूद्ध यह अपील संधारण योग्य नहीं है। यह अपील निरर्थक व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट्स का यदि कोई हक, स्वत्व व अधिकार है तो वे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर सकते है, परंतु नामांतरकरण की समरी कार्यवाही में अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर, उसका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गहनता से विचार व मनन किया तथा संबंधित विधि प्रावधानों, अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत दोनों न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन/अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. अपीलांट्स की ओर से यह अपील तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2023 को पेश की है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 5 समय सीमा अधिनियम 1963 के तहत पेश कर कथन किया है कि आक्षेपित आदेश जारी करने में अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हे इस आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थी। हाल ही में अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर ऐलानिया धमकियां दी, तब दिनांक 21.02.2023 को पटवारी हल्का से आक्षेपित नामांतरकरण की जानकारी हुई तथा दिनांक 11.07.2022 के आदेश की नकल प्राप्त करके अपील अंदर म्याद पेश की गई है, जिसमें हुई देरी सद्भावी व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पर्याप्त कारणों से है। अतः देरी कन्डोन करके अपील को मेरिट पर सुना जाकर, स्वीकार की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का प्रत्यर्थी 1 द्वारा शपथ जवाब पेश कर खण्डन नहीं किया है तथा पत्रावली पर भी ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि आक्षेपित आदेश की अपीलांट्स को दिनांक 21.02.2023 से पूर्व जानकारी थी तथा न ही अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये है, जबकि अपीलांट्स विवादग्रस्त आराजी में रिकॉर्डेड सहखातेदार है तथा सुखाराम लाऔलाद फौत हुआ है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर की गई है।

तहसीलदार, लूणी द्वारा प्रकरण सं. 10/2022 में संधारित पत्रावली व उसकी आदेशिका में भी किसी भी सहखातेदार की उपस्थिति दर्ज नहीं है (हितबद्ध प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम को छोडकर)।

अतः धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों से यह न्यायालय सहमत है तथा अंकित कथन पर्याप्त व सद्भावी होने से, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से, स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का मेरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

9. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, ग्राम रोहिचा कला के खसरा सं. 339, रकबा 14.3501 हैक्टर भूमि, खाता सं. 133 में सुखाराम पुत्र जसाराम जाति मेघवाल का 1/6 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है। नामांतरकरण सं. 1250 दिनांक 20.07.2022 तहसीलदार, लूणी के आदेश क्रमांक भू.अ./2022/2344 दिनांक 11.07.2022 की पालना में जो प्रकरण सं. 12/2022 के निर्णय में पारित किया गया है, दर्ज किया जाकर दिनांक 22.07.2022 को ही तहसीलदार द्वारा सुखाराम की जगह हनुमानराम दत्तक पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/6 के नाम स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2022 को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। इस प्रकार आक्षेपित नामांतरकरण को दर्ज करने का आधार, तहसीलदार, लूणी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 हनुमानराम पुत्र शिवाराम द्वारा विवादित अपंजीकृत गोदनामा दिंनाक 05.03.2011 के आधार पर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 के आधार पर प्रकरण सं. 12/2022 दर्ज कर, सरसरी तौर से की गई प्रशासनिक एकपक्षीय जांच के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 11.07.2022 है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2022 का तथ्यात्मक परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:–

9.1– प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 को तहसीलदार, लूणी को पेश कर कथन किया कि उसके पिताजी सुखाराम का दिनांक 10.01.2013 को देहांत हो चुका है, जिनके नाम ग्राम रोहिचा कला में ख.नं. 339 रकबा 14.3501 हैक्टर जमीन आई हुई है। उक्त भूमि के बाबत प्रार्थी हनुमानराम के नाम गोदनामा दिनांक 05.03.2011 गवाहों के रूबरू व नोटरी पब्लिक के समक्ष किया गया है। सुखाराम की पत्नी का दिनांक 15.08.2010 को देहांत हो चुका हे। उक्त गोदनामा के आधार पर उक्त वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। अगर पाये जाते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रार्थी की होगी। अतः उक्त गोदनामा के आधार पर मुझ प्रार्थी का नामांतरकरण भरा जावे।

उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि खातेदार सुखाराम का दिनांक 10.01.2013 को देहांत हुआ है तथा गोदनामा 05.03.2011 का होने के बावजूद भी प्रार्थी हनुमानराम ने 20 वर्ष की अवधि में भी नामांतरकरण दर्ज करने का कोई प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारियों ग्राम पंचायत/तहसीलदार/पटवारी को पेश नहीं किया है, जो स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न करता है।

9.2–तहसीलदार, लूणी ने दिनांक 05.05.2022 को प्रकरण दर्ज कर, अपंजीकृत गोदनामा में अंकित साक्षीगणों को तलब किया। दिनांक 26.05.2022 को तथाकथित विवादास्पद गोदनामा के गवाह पेमाराम, किसनाराम व बींजाराम के बयान रिकॉर्ड किये। उक्त तीनों ने एक ही प्रकार के बयान किये है तथा कथन किया है कि संवत् 2050 में सुखाराम ने अपने भाई शिवाराम के पुत्र हनुमानराम को पारिवारिक व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार राजीखुशी से गोद लिया। गोदनामा की रस्म का आयोजन रखा, जिसमें मैं भी मोजूद था तथा बाद में कचहरी में लिखा पढी हुई।

9.3–अपीलांट्स द्वारा बिना किसी तिथि अंकन किये गोदनामा की फोटोप्रति पेश की है, जिस पर नोटरी ने दिनांक 05.03.2011 अंकित की है परंतु इस पर न तो नोटरी स्टांप लगा हुआ है तथा न ही नोटरी एक्ट व नियमों निर्धारित प्रावधानानुसार इस दस्तावेज को रजिस्टर में दर्ज किया है, जो कानूनी रूप से आवश्यक है तथा उक्त कमियां, इस दस्तावेज को संदेहास्पद मानने के लिए पर्याप्त है।

9.4–इसी प्रकार इस दस्तावेज में हनुमानराम की उम्र सवंत् 2050 में गोद लेते समय 29 वर्ष बताई है तथा 16 वर्ष से गोद देना अंकित किया है, जो तहसीलदार द्वारा रिकॉर्ड किये गये गवाहों के बयानों के बिल्कुल विपरीत है, जो संवत् 2050 में उनकी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपस्थिति में गोद रस्म पूरी करने का कथन करते है। संवत् 2050 से 16 वर्ष पूर्व गोद लेने की रस्म (प्राकृतिक माता पिता द्वारा पुत्र को गोद में देना तथा दत्तक पिता माता द्वारा पुत्र को ग्रहण करना) होने का कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। संवत् 2050 में हनुमानराम की उम्र 29 वर्ष बताई गई है, जो कि हिंदु दत्तक एवं भरण पोषण एक्ट 1956 की धारा 10 में निर्धारित अधिकतम आयु 15 वर्ष से अधिक होने से कानून में अमान्य है।

9.5—इसके अतिरिक्त सुखाराम के सगे भाई नरसिंगाराम, रूगनाथराम, मंगलाराम व उसका परिवार तथा रूपाराम व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विवादास्पद गोदनामा पर हस्ताक्षर व अंगूठा तक नहीं होना, गांव में परिवार व समाज के सामने सामाजिक रीति रिवाज अनुसार, गोद रस्म अदा होने का गवाहों के कथन भी संदेहास्पद है। एक भाई, दूसरे भाई का पुत्र गोद ले रहा है तथा उसमें स्वर्गीय जसाराम (हनुमानराम के दादा) के परिवार के अन्य सदस्य उसमें शामिल नहीं होना, भी गोद के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है तथा कथित गोदनामा का सिर्फ अंतिम पृष्ठ पर उक्त तीनों गवाहों के हस्ताक्षर है, परंतु गोद देने व गोद लेने वालों के इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर ही नहीं है।

9.6—उक्त के अतिरिक्त दत्तक गृहिता पानी देवी के पति का नाम जसाराम लिखा है, जो शिवाराम की पत्नी नहीं होकर माता है, जिसकी उम्र 65 वर्ष बताई है तथा शिवाराम की उम्र 70 वर्ष बताई है अर्थात् पुत्र की उम्र माता से भी 5 वर्ष अधिक है। अतः गोदनामा की सत्यता की परख समरी जांच में संभव ही नहीं है।

9.7—तहसीलदार, लूणी ने पत्र दिनांक 24.06.2022 से पटवारी, रोहिचा कला से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट (बाबत हनुमानराम का सुखाराम का गोदपुत्र होन का) मंगवाई। पटवारी ने रिपोर्ट दिनांक 06.07.2022 में लिखा है कि हनुमानराम, शिवाराम का पुत्र है तथा सुखाराम के गोद लिया हुआ है। जिसका कोई आधार ही नहीं है। मात्र पूछताछ को आधार बताया है। यह भी लिखा कि सुखाराम के जायंदा पुत्र, पुत्री व पत्नी फौत है जबकि उसे लाऔलाद बताया है। पटवारी ने दिनांक 05.07.2022 को ख.नं. 339 की मौका रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट भंवरलाल, साजनराम, हनुमानराम (प्रत्यर्थी 1) व पानी की उपस्थिति में तैयार की गई है परंतु ख.नं. 339 के रिकॉर्डेड खातेदार जो कि हनुमानराम के परिवार के सदस्य है, किसी के भी हस्ताक्षर इस रिपोर्ट पर नहीं है, जबकि शिवाराम के भाई अपीलांट्स नरसिंगाराम, रूगनाथराम व मंगलाराम के पुत्र चन्द्राराम व नारायण तथा रूपाराम की पत्नी, दो पुत्र व तीन पुत्रियां रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रकार पटवारी की रिपोर्ट संदेहात्मक है तथा चुपके—चुपके एकतरफा,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हनुमानराम की व अज्ञात व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई है। भंवरलाल व साजनराम कौन है?

9.8–तहसीलदार ने दिनांक 30.05.2022 को आमसूचना प्रकाशित करके, अपंजीकृत गोदनामा दिनांक 05.03.2011 के आधार पर, सुखाराम की संपति राजस्व रिकॉर्ड में हनुमानराम के नाम दर्ज करने हेतु आपत्तियां आमंत्रित की है, जिसे दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 31.05.2022 को प्रकाशन करना, तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2022 में लिखा है तथा निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से अपंजीकृत गोदनामा दिनांक 05.03.2011 के आधार पर हनुमानराम को सुखाराम का गोदपुत्र मानकर राजस्व रिकॉर्ड में ख.नं. 339 की भूमि, हनुमानराम के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है। उक्त आमसूचना दिंनाक 31.05.2022 को दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित होना बताया है, जिसकी शायद ही कोई प्रति ग्राम रोहिचा कला में दिनांक 31.05.2022 या बाद में पहुंची होगी। आमसचूना क्षेत्र विशेष में नियमित रूप से पहुंचने वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी चाहिए थी, जो हमारी जानकारी हेतु उक्त क्षेत्र हेतु दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका है।

आम सूचना का ऐसे अखबार में प्रकाशित करवाने का, जो नियमित रूप से उस क्षेत्र विशेष में पहुंचता ही नहीं हैं, कोई औचित्य ही नहीं है तथा हितबद्ध व्यक्ति आक्षेप पेश करने से जानकारी के अभाव में वंचित हो गये।

9.10–तहसीलदार द्वारा तथाकथित विवादित गोदनामा दिनांक 05.03.2011 में अंकित गवाहों के बयान लिये गये है, जबकि विवादित भूमि के सहखातेदार जो कि हनुमानराम के नजदीकी रिश्तेदार है, को न तो नोटिस जारी किये गये है तथा न ही उनके बयान रिकॉर्ड किये है तथा न ही रिकॉर्डेड बयानों का प्रति परीक्षण हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा की गई जांच अविधिक, अधूरी, मनमानी व पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है, जिसमें रिकॉर्डेड एक ही परिवार के सहखातेदारों को अंधेरे में रखकर आक्षेपित आदेश सुखाराम की मृत्यु दिनांक 10.01.2013 के पश्चात् अत्यधिक विलंब अर्थात् 10 वर्षों के बाद, अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर पारित किये गये। दस वर्ष तक नामांतरकरण दर्ज नहीं कराने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है।

9.11–राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 119 से 148 तक में नामांतरकरण अभिलिखित करने की विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गई है। उक्त नियमों के नियम 132 में यह प्रावधान है कि बेचान, वसीयत, बंधक, दान के मामलों में नामांतरकरण सिर्फ पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करने चाहिए तथा विरासत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के नामांतरकरण, मृतक के समस्त कानूनी वारिसान के नाम विस्तृत जांच के पश्चात् ही दर्ज करने चाहिए।

हस्तगत प्रकरण अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर, नामांतरकरण दर्ज करने से संबंधित है। कानूनी रूप से गोदनामा का दस्तावेज, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। अतः अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व, हितबद्ध व्यक्ति को सक्षम सिविल न्यायालय से गोदपुत्र होने बाबत घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करनी चाहिए। गोदपुत्र होने के तथ्य को सिर्फ सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सुसंगत साक्ष्य सबूतों के आधार पर घोषित किया जा सकता है। सिर्फ सरसरी प्रशासनिक जांच मात्र से ही किसी व्यक्ति को, किसी का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता। तहसीलदार को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त ही नहीं है। तहसीलदार द्वारा की गई सरसरी जांच सिर्फ एक प्रशासनिक जांच है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी का गोदपुत्र घोषित नहीं किया जा सकता।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SBCWP No. 6841/2021 (प्रद्युम्न सिंह परमार बनाम कमिश्नर, कॉलेज शिक्षा वगैरा) में पारित आदेश दिनांक 27.02.2025 के पैरा 4 से 7 तक में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:– (Para 4 to 7)

"4. The core issue in the present case revolves around the validity of the adoption and its recognition for the purpose of compassionate appointment. It is well settled that disputed questions of fact, particularly those concerning validity of an adoption deed, cannot be decided under the discretionary and extra ordinary writ jurisdiction of this court. The determination of whether the adoption was legally valid requires detailed evidence, including oral and documentary proof, which can only be adjudicated through a civil suit.

5. Trite it may sound that self serving affidavits alone are insufficient to establish disputed facts in writ jurisdictions. The authenticity of an adoption deed and its legal effect must be examined in a properly instituted civil suit where both parties can adduce evidence.

7. Petition is dismissed accordingly. However, the petitioner is at liberly to avail appropriate legal remedy before competent civil court to establish his claim."

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी सं. 1 हनुमानराम द्वारा, अपंजीकृत गोदनामा के द्वारा स्वयं को मृतक सुखाराम का गोदपुत्र होने के तथ्य को सक्षम सिविल कोर्ट से साबित करवाने का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त के विकल्प में हिंदु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 में पंजीबद्ध गोदनामा मान्य होने की उपधारणा की गई है। धारा 16 इस प्रकार है:–

"16. Presumption as to registered documents relating to adoption:- Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance of the provision of this Act, unless and until it is disproved.

उक्त विधिक स्थिति के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का संदर्भ लिया जा सकता है:

K Srinivasan v. Srinivasan (1973)2 SCC 327; Bholooram(Bhola) & Ors. v. Ramlal & Ors. (AIR 1989 MP 198 Dated 01.02.1989); Gopi v. Madan AIR 1970 Raj. 170 (Raj. H.C. Jaipur dated 30.04.1969), Nilima Mukherji v. Kanta Bhushan Ghosh (AIR 2001 SCC 2725); RLW 2007 (1) RJ 110 (HC) मालीराम बनाम राजस्व मण्डल।

परंतु प्रत्यर्थी 1 की ओर से पंजीबद्ध गोदनामा का कोई दस्तावेज ही पेश नहीं किया है, जिसके अभाव में प्रत्यर्थी 1 को सुखाराम का गोद लिए जाने के तथ्य बाबत विधिक उपधारणा भी नहीं की जा सकती। अतएव पंजीबद्ध दस्तावेज के अभाव में दत्तक ग्रहण के तथ्य को ठोस व प्रमाणित साक्ष्य से सक्षम सिविल कोर्ट में प्रमाणित करने का भार (Onus) प्रत्यर्थी 1 पर है। उक्त दोनों में से कोई भी सबूत प्रत्यर्थी 1 ने पेश नहीं किया है। अतः प्रत्यर्थी 1 को सुखाराम का गोद पुत्र उपलब्ध अभिलेख अनुसार नहीं माना जा सकता।

9.12–प्रत्यर्थी 1 को सुखाराम का गोदपुत्र होने के तथ्य को साक्ष्य सबूत से सक्षम सिविल कोर्ट में, अन्य तथ्यों की भांति ही साबित करना होगा। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है:–

1989 आरआरडी 580– साहबराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, Sanny v. Duli Devi, 1985 ori 111, Sita Ram v/s Puran Mal, 1985 ori 171, Vandavasi v. Kamalamma, 1994 AP 102, Arjua v. Buchi, 1995 ori 32, Bajrang lal V.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Nandu Bai, (2015)10 RAJ CK 001 (CSA No. 18/2013, RHC Jaipur, D/d 28.10.2015), Kailash Chandra V/S Sant Ramtaram etc. (SB, CFA No. 317/2013, D/d 30.5.2017, RHC Jaipur Bench).

9.13–प्रत्यर्थी 1 स्वयं को दिनांक 05.03.2011 से गोदपुत्र सुखाराम का होना कथन करता है तथा गोदनामा के आधार पर नामांतरकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 को तहसीलदार लूणी के समक्ष 10 वर्ष बाद पेश किया है। इस दस वर्ष की अवधि में, प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम के पक्ष में सुखाराम को गोद पुत्र के रूप में सृजित दस्तावेज भी उसने पेश नहीं किये है तथा दस्तावेज पेश नहीं करने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया है। विरासत के नामांतरकरण स्वीकृत करने की शक्तियां, अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 से संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को प्रत्यायोजित की हुई है। उक्त दस वर्ष के अंतराल में प्रत्यर्थी 1 ने विरासत का नामांतरकरण गोदनामा के आधार पर दर्ज कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई, इसका कोई विवरण पत्रावली पर नहीं है। यह तथ्य आक्षेपित गोदनामा को संदेहास्पद बनाता है। अचानक दिनांक 14.03.2022 को तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर दिनांक 11.07.2022 को आदेश पारित करके दिनांक 20.07.2022 को ही नामांतरकरण दर्ज करके, दिनांक 22.07.2022 को भू.अ. निरीक्षक द्वारा जांच किया जाना तथा दिनांक 22.07.2022 को ही तहसीलदार, लूणी द्वारा नामांतरकरण स्वीकार करना, संदेहात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करने का पर्याप्त आधार है।

9.14–किसी मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकार तय करना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अपंजीकृत व सक्षम न्यायालय से विधिवत परीक्षण के बिना किसी व्यक्ति को, किसी का गोदपुत्र मानकर, उसका उत्तराधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? गोदपुत्र को, गोद लेने वाले की समस्त संपति में समस्त प्रकार के हक, अधिकार व स्वत्व, एक जायंदा पुत्री की भांति प्राप्त हो जाते है तथा उसे सभी सामाजिक मान्यताएं भी एक जायंदा पुत्र की ही भांति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में विधि प्रक्रिया अनुसार, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा नियमित वाद के माध्यम से ही अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर गोद पुत्र को ठोस व प्रमाणित साक्ष्य/सबूतों से ही माना जा सकता है। इस संबंध में 2015(1) CCC 802 (Raj.)-अनिल कुमार बनाम अशोक कुमार में प्रतिपादित सिद्धांत से यह न्यायालय सहमत है।

9.15–नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त/समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के हित, अधिकार व स्वत्वों का निर्धारण नहीं किया जा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उक्त प्रकार के अधिकारों का निर्धारण सिर्फ नियमित वाद में सक्षम न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है।

10. उपरोक्त समग्र तथ्यात्मक, अभिलेखीय विवेचन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक खातेदार सुखाराम द्वारा, प्रत्यर्थी सं. 1 हनुमानराम को, पंजीकृत गोदपत्र के अभाव में तथा वैकल्पिक रूप से अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा हनुमानराम को सुखाराम का गोदपुत्र घोषित करने की डिक्री के अभाव में, नामांतरकरण की संक्षिप्त व समरी कार्यवाही में गोदपुत्र नहीं माना जा सकता तथा अपंजीकृत संदेहास्पद गोदपत्र के आधार पर आक्षेपित नामांतरकरण प्रत्यर्थी 1 के नाम दर्ज करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तहसीलदार को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त नहीं है तथा उसे अपंजीकृत गोदपत्र के आधार पर प्रत्यर्थी 1 को सुखाराम का गोदपुत्र घोषित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 11.07.2022 बिना क्षेत्राधिकार के पारित करना पाया जाने के कारण अपास्त योग्य है तथा परिणामतः ऐसे अवैध प्रशासनिक जांच के आदेश दिनांक 11.07.2022 के आधार पर दर्ज किया गया अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1250 पर पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 भी अपास्त योग्य है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

11. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2022 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त अपास्त आदेश 11.07.2022 की पालना में ग्राम रोहिचा कला के खेत ख.नं. 339, बाबत दर्ज नामांतरकरण सं. 1250 पर तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त अपास्त नामांतरकरण सं. 1250 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में किये गये समस्त पश्चात्वर्ती इन्द्राजात भी अपास्त किये जाते है।
12. प्रकरण तहसीलदार, लूणी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रोहिचा कला के ख.नं. 339 के मृतक सहखातेदार सुखाराम पुत्र जसाराम मेगवाल के कानूनी वारिसान की जांच, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की जाकर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को नियमानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, सुखाराम के वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में आराजी दर्ज की जावे।
13. अपीलांट्स दिनांक 30.01.2026 को तहसीलदार, लूणी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष, साक्ष्य–सबूत के साथ पेश करे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14. प्रत्यर्थी सं. 1 हनुमानराम, सक्षम सिविल न्यायालय से, सुखाराम का गोदपुत्र होने बाबत, विधि अनुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अगर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से प्रत्यर्थी 1 हनुमानराम को सुखाराम का गोदपुत्र घोषित किया जाता है, तो विधि प्रकिया अनुसार, तहसीलदार, लूणी राजस्व अभिलेख में डिक्री/फैसला अनुसार इन्द्राज करे।

15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को लौटाया जावे।

16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।